भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 476**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधन**

**476. श्री हुसैन दलवईः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2015 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रारूप विधेयक को अनुमोदित किए जाने की क्या स्थिति है;

(ख) इसके लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) इस विधेयक को संसद में कब पुरःस्थापित किया जाएगा;

(घ) इस विधेयक के संबंध में किए गए अंतर मंत्रालयी परामर्शों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय किन-किन अन्य हितार्थियों से परामर्श किया गया तथा यदि किसी हितार्थी से परामर्श नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस विधेयक के संबंध में लोक-परामर्श कब किया जाएगा?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (च) : राष्‍ट्रीय महिला आयोग में अतिरिक्त शक्तियॉं निहित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 को पुन:अधिनियमित करने हेतु संबंधित हितधारक मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद प्रस्‍तावित विधेयक को संसद के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए सरकार की मंजूरी मांगने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग विधेयक, 2015 को 2 जुलाई, 2015 को पेश किया गया था । इसके बाद, एनसीडब्ल्यू अधिनियम, 1990 को निरस्‍त करने सहित प्रस्तावों पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने 29.07.2016 और 05.08.2016 को विचार किया था, जहां इसे पुनर्विचार करने तथा साथ ही इस टिप्‍पणी सहित कि क्‍या उद्देश्‍य को मौजूदा कानून के तहत हासिल किया जा सकता है, वापस लौटा दिया गया था । उपरोक्‍त के अनुसरण में, एनसीडब्ल्यू अधिनियम, 1990 को निरस्‍त करने के बारे में तत्कालीन सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में दिनांक 21.3.2017 को आयोजित एक बैठक, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष, राष्‍ट्रीय महिला आयोग भी उपस्थित थे, में विचार किया गया था और यह देखा गया कि राष्‍ट्रीय महिला आयोग के पास महिलाओं के लिए प्रदत्‍त सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और छानबीन करने के लिए एनसीडब्ल्यू अधिनियम, 1990 के तहत पर्याप्त शक्तियां हैं और इस तरह यह देखा गया कि एनसीडब्ल्यू अधिनियम, 1990 में प्रस्तावित संशोधन करने के लिए आगे कार्रवाई न की जाए ।

\*\*\*\*\*